न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

मि0न0 —230 / 2020(2020 / 00356)

अनवान : —

ईश्वरसिंह पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हवासिंह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. कुलदीपसिंह पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
3. मानता पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री विनोद पूनियां **वादी**
श्री उम्मेद मोठसरा **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 04/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074—77 के वर्तमान खाता संख्या 301 / 271 के खसरा न0 428 की 2.668 है0, खसरा न0 429 की 0.190 है0, खसरा न0 515 की 7.145 है0, खसरा न0 517 की 1.518 है0, खसरा न0 518 की 1.593 है0 कुल खसरा 5 की कुल 13.114 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा हरदेवाराम की खातेदारी हुआ करती थी। हरदेवाराम से विरासत [illegible] भूमि जो प्रतिवादी हवासिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासत [illegible] प्रतिवादी हवासिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि [illegible] एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से ह[illegible]व अधिकार निहित [illegible] वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हवासिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह को वादी के दादा हरदेवाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। भू.प्रबंध विभाग जमाबन्दी चक करणपुरा बारानी सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 253, 69 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्यां 3 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी ईश्वरसिंह पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 301/271 प्रदर्श 1, जमाबनदी भू प्रबंध विभाग चक करणपुरा बारानी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 253 प्रदर्श 2, जमाबनदी भू प्रबंध विभाग चक करणपुरा बारानी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 69 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 301/271 के खसरा न0 428 की 2.668 है0, खसरा [illegible] है0, खसरा न0 515 की 7.145 है0, खसरा न0 517 की 1.518 है0, खसरा न0 518 [illegible] है0 कुल खसरा 5 की कुल 13.114 हैक्टेयर खातेदारी कृषि [illegible] सिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि [illegible] दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 230/20 अनुवान ईश्वरसिंह बनाम हवासिंह आदि धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 301/271 के खसरा न0 428 की 2.668 है0, खसरा न0 429 की 0.190 है0, खसरा न0 515 की 7.145 है0, खसरा न0 517 की 1.518 है0, खसरा न0 518 की 1.593 है0 कुल खसरा 5 की कुल 13.114 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी ईश्वरसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह, प्रतिवादी संख्या 2 कुलदीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:09 IST
Reason: SelfAttested